

भाग III

संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

1	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	नहीं।
2	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल के जामई वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 455, 456 में तामिया-जुन्नारदेव राज्यमार्ग क्रमांक-41 रकबा 5.7 हे. का एम.पी.आर.डी.सी. छिंदवाड़ा का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के निमित्त प्रावधानों के तहत अनुशंसा की जाती है।


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
 एवं पदेन वनसंरक्षक
 छिंदवाड़ा वनवृत्त